HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 10301/2026
CNR: RJHC020607592026 | URN: CRLMB / 19070U / 2026

Kailash @ Mandu S/o Ramdhan, Aged About 42 Years, R/o Village Dhauli, Tehsil Lalshot, District Dausa, Rajasthan. (Petitioner Is Present Confined At District Jail Alwar, Rajasthan).

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s) : Mr. Ram Babu Sharma
For Respondent(s) : Mr. S R Dhakar, PP

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

10/09/2026

प्रार्थी की ओर से धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत पुलिस थाना थानागाजी, जिला–अलवर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 180/2009 अपराध अन्तर्गत धारा 420 भारतीय दण्ड संहिता में जमानत का लाभ दिये जाने हेतु यह प्रार्थनापत्र पेश किया गया है।

बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी–अभियुक्त का तर्क है कि दिनांक 13.04.2011 को प्रार्थी द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं आने के कारण उसके जमानत मुचलके जब्त कर दिये गये थे तथा दिनांक 24.09.2011 को प्रार्थी को मफरूर घोषित करते हुए प्रार्थी का स्थाई गिरफ्तारी वारण्ट जारी कर दिया गया था। प्रार्थी–अभियुक्त दिनांक 08.06.2026 से अभिरक्षा में चल रहा है। प्रार्थी ने विचारण न्यायालय के समक्ष धारा 446 दण्ड प्रक्रिया संहिता की कार्यवाही का निस्तारण करवा लिया है। उनका तर्क है कि प्रार्थी भविष्य में अनुपस्थित नहीं होगा तथा प्रत्येक पेशी पर व्यक्तिगत रूप से न्यायालय के समक्ष उपस्थित होता रहेगा और प्रकरण को विलम्बित

नहीं करेगा। प्रकरण की अन्वीक्षा में समय लगेगा। अतः प्रार्थी को जमानत का लाभ प्रदान किया जावे।

इसके विपरीत योग्य लोक अभियोजक का तर्क है कि प्रार्थी–अभियुक्त वर्ष 2011 के पश्चात् अब तक अर्थात् लम्बे समय से फरार रहा है, जिसके कारण लम्बित प्रकरण में अनावश्यक विलम्ब कारित हुआ है। फरार रहने की अवधि के दौरान प्रार्थी के विरूद्ध एक आपराधिक प्रकरण भी संस्थित हुआ है, जो धारा 323, 341, 325, 452 भारतीय दण्ड संहिता से संबंधित है। अतः जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया। केस डायरी का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थी–अभियुक्त द्वारा दिनांक 13.04.2011 को विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं आने के कारण उसके जमानत मुचलके जब्त किये गये थे तथा दिनांक 24.09.2011 को उसे मफरूर घोषित कर स्थाई गिरफ्तारी वारण्ट जारी किया गया था। प्रार्थी–अभियुक्त ने विचारण न्यायालय के समक्ष धारा 446 दण्ड प्रक्रिया संहिता की कार्यवाही का निस्तारण करवा लिया है। प्रार्थी–अभियुक्त दिनांक 08.06.2026 से अभिरक्षा में है तथा प्रकरण की अन्वीक्षा में समय लगने की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। अतः उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए इस स्तर पर मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र **सर्शत** स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थनापत्र इस शर्त के साथ स्वीकार किया जाता है कि **वह आगामी प्रत्येक पेशी पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होता रहेगा तथा अपनी ओर से प्रकरण को किसी प्रकार से विलम्बित नहीं करेगा।**

प्रार्थी–अभियुक्त को आदेश दिया जाता है कि यदि वह इस मामले में योग्य विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे बुलाया जाए, उपस्थिति हेतु एक लाख रूपये का बन्ध–पत्र एवं पचास–पचास हजार रूपये की दो प्रतिभूतियां प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाये।

अभियुक्त द्वारा उक्त शर्त की पालना नहीं करने पर विद्वान लोक अभियोजक अभियुक्त के जमानत निरस्तीकरण के संबंध में प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने को स्वतंत्र रहेंगे।

(SHUBHA MEHTA),J

36/VISHAL SHARMA